राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 176/2009/कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत्त–अ, कोटा। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स सेथिया स्टोन इण्डस्ट्रीज, कोटा। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.07.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय वृत्त–अ, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 11.07.2008 के विरूद्ध पेश की गयी हैं, जो अपील संख्या– 32/आर.एस.टी./2008–09/कोटा के सम्बन्ध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29(6) सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत् निर्धारण वर्ष 2002–03 के लिये पारित निर्धारण आदेश, दिनांक 23.03.2005, के जरिये कायम की गयी कर रू0 1,58,252/–, सरचार्ज रू0 21,854/– व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि रू0 81,038/– की मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त ईकाई राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, के तहत् स्थपित की गयी जिसके संबंध में सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा ईकाई द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय पर तथा उक्त हेतु क्रय किये गये कच्चे माल के क्रय पर क्रय कर से मुक्ति के लिये प्रमाण पत्र संख्या 6477/27.02.2004 को दिनांक 27.08.2001 से दिनांक 31.03.2004 तक की अवधि के लिये जारी किया गया था। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का निर्धारण अधिनियम के तहत् पारित कर, नियमानुसार कर मुक्ति की छूट स्वीकार की गयी परन्तु केन्द्रीय अधिनियम के तहत् कर मुक्ति की छूट को अस्वीकार कर, करारोपण

लगातार.....2

अवधारित कर, कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त किया गया है । अतः पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर विचार किया गया । रिकॉर्ड व अपीलीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश से पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी नहीं किया गया है जो राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 47 व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है । अतः उक्त आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त करना विधिसम्मत नहीं है । फलवरूप, पारित अपीलीय आदेश अपास्त किया जाकर, प्रकरण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर, नियमानुसार करारोपण की कार्यवाही करें ।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया।

23.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य